

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीम  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प श्रीम खेडा

११/२५

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीम खेडा व भू.अ.नि. डि.के.र की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीम खेडा तहसील श्रीम जिला राजसमेट की जमाबन्दी सम्वत् २०७७ ई. १३३५ में खाता संख्या 104, 105, 328, 330 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्रीम खेडा	104 105 328 330	विरदसिंह पुत्र अंबरसिंह	पप्पूसिंह पुत्र अंबरसिंह

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी श्रीम  
पदेन सहायक कलक्टर  
जिला राजसमेट

कमांक :- ११/२५

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायली।

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर